(43)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
54/2017/प्रा.पत्र/2017	28.08.2017	20.06.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1—श्री राजेन्द्र प्रसाद जैन पुत्र माणक चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स शिखर चन्द राजेन्द्र प्रसाद महावीर मार्ग बस स्टैण्ड के बाहर मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी नई नगरी मोहल्ला मालपुरा जिला टोंक राज0
2— मैसर्स शिखर चन्द राजेन्द्र प्रसाद महावीर मार्ग बस स्टैण्ड के बाहर मालपुरा जिला टोंक राज0
3—श्री नरेन्द्र साधवानी पुत्र राजेन्द्र साधवानी प्रोपरायटर मैसर्स जायका दी रियल टेस्ट एफ नं. 102 राजापार्क जयपुर राज0 निवासी प्लेट नं. 102 मंहेन्द्र रेजीडेन्सी राम गली नं.6 राजापार्क जयपुर राज0
4— मैसर्स जायका दी रियल टेस्ट एफ नं. 102 राजापार्क जयपुर राज0
...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—
1—प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2—अप्रार्थीगण उपस्थित

:—**निर्णय**—: **दिनांक 20.06.2019**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षां अधिकारी दिनांक 17.05.2017 को समय 6.12 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स शिखर चन्द राजेन्द्र प्रसाद महावीर मार्ग बस स्टैण्ड के बाहर मालपुरा जिला टोंक राज0पर पहुंचां। एफ.बी.ओ.की हैसियत से राजेन्द्र प्रसाद जैन पुत्र माणक चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स शिखर चन्द राजेन्द्र प्रसाद महावीर मार्ग बस स्टैण्ड के बाहर मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी नई नगरी मोहल्ला मालपुरा जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **आंवला मुरब्बा जायका ब्रॉड (Amla Murabba Zaika Brand)** जिसके बैच/लोट नं. 02 एंव पैकिंग की दिनांक अप्रेल 2017 थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री राजेन्द्र प्रसाद जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता राजेन्द्र प्रसाद जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे **आंवला मुरब्बा जायका ब्रॉड (Amla Murabba Zaika Brand)** अलग—अलग सील्ड पैक 1—1 किलोग्राम के 11 नग मे से 1—1 किलोग्राम के 4 नग (कॉच के जार) कुल 4.00 किलोग्राम वास्ते आम जनता को विक्रय हेतू रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री राजेन्द्र प्रसाद जैन को रू0 340/—अक्षरे तीन सो चालीस

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

818

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **आंवला मुरब्बा जायका ब्रॉड (Amla Murabba Zaika Brand)** 1–1 किलोग्राम के ज्यो का त्यो चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को अलग–अलग करके व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–1634 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1634 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक मोटाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. राजेन्द्र प्रसाद जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रैपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाद्य पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री राजेन्द्र प्रसाद जैन ने मौके पर **आंवला मुरब्बा जायका ब्रॉड (Amla Murabba Zaika Brand)** बतौर वारन्टी मैसर्स जायका दी रियल टेस्ट एफ नं. 102 राजापार्क जयपुर राज का खरीद बिल कमांक 1766 दिनांक 26.04.2017 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./17/3486 दिनांक 28.06.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/379/एक्ट/2017/383 दिनांक 08.06.2017 अनुसार राजेन्द्र प्रसाद जैन से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया, **आंवला मुरब्बा जायका ब्रॉड (Amla Murabba Zaika Brand)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-branded)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का **आंवला मुरब्बा जायका ब्रॉड (Amla Murabba Zaika Brand)**का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(c)(i)का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **आंवला मुरब्बा जायका ब्रॉड (Amla Murabba Zaika Brand)** का विकय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **आंवला मुरब्बा जायका ब्रॉड (Amla Murabba Zaika Brand)**का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 अप्रार्थी श्री राजेन्द्र प्रसाद जैन पुत्र माणक चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स शिखर चन्द राजेन्द्र प्रसाद महावीर मार्ग बस स्टैण्ड के बाहर मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी नई नगरी मोहल्ला मालपुरा जिला टोंक राज0 पर शास्ती 3,000/– (अक्षरे तीन हजार रू0) अप्रार्थी श्री नरेन्द्र साधवानी पुत्र राजेन्द्र साधवानी प्रोपरायटर मैसर्स जायका दी रियल टेस्ट एफ नं. 102 राजापार्क जयपुर राज0 निवासी प्लेट नं. 102

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(मुहर: न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक)

Scanned by CamScanner

महेन्द्र रेजीडेन्सी राम गली नं.6 राजापार्क जयपुर राज0 पर शास्ती 10,000/– (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान रा राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.06.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-टोंक0

Scanned by CamScanner